



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे दो अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचे व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 09.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि परागी तालाब के पास दो युवक मौजूद हैं जिनके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए युवकों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त अशद पर पूर्व में भी मारपीट आदि के सम्बन्ध में 04 मामलों दर्ज हैं।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. असद उर्फ भय्यू पुत्र इमरान निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. शहजाद पुत्र छेदू निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 594/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

अपराधिक इतिहास असद उर्फ भय्यू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 420/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 393/24 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 170/25 धारा 115(2)/324(4)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 309/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

अपराधिक इतिहास शहजाद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 13/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बुद्धि सागर चौकी प्रभारी मर्दननाका
2. उ0नि0 श्री गौरव प्रताप सिंह
3. कां0 ऋषभ कुमार
4. कां0 महेन्द्र कुमार
5. कां0 सत्यम गुर्जर
6. कां0 पवन कुमार नायक